ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति

(2024-2025)

15

अठारहवीं लोक सभा

पंचायती राज मंत्रालय

पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत निधियों का हस्तांतरण

पन्द्रहवां प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

पन्द्रहवां प्रतिवेदन

ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति

(2024-2025)

(अठारहवीं लोक सभा)

पंचायती राज मंत्रालय

पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत निधियों का हस्तांतरण

29.07.2025 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।

29.07.2025 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
जुलाई, 2025 / श्रावण, 1947 (शक)

सीआरडी सं. 206

मूल्यः .....रुपये

© 2025 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम (सत्रहवाँ संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित और ---------- द्वारा मुद्रित।

विषय-वस्तु

		पृष्ठ सं.
	समिति की संरचना (2024-25)	ii
	प्राक्कथन	iii
	प्रतिवेदन	
	भाग-एक	
	व्याख्यात्मक विश्लेषण	
क.	केंद्रीय वित्त आयोग - राजकोषीय हस्तांतरण	1
ख.	केंद्रीय 15वां वित्त आयोग (2020-2026)	1
ग.	ऑडिट ऑनलाइन	6
घ.	लाभ और ऑडिट ऑनलाइन	9
ङ.	मानकीकृत लेखापरीक्षक प्रमाणपत्र	10
च.	राज्य वित्त आयोग	10
छ.	पंचायती राज मंत्रालय की भूमिका	14
ज.	पेयजल और स्वच्छता विभाग की भूमिका	15
झ.	व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय की भूमिका	16
ञ.	ग्रामीण स्थानीय निकाय के लिए निधियों के दुरुपयोग और दुर्विनियोजन पर कार्रवाई	16
ट.	ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुशंसित एफसी-XV मूल (शर्तमुक्त) अनुदानों का उपयोग	16
ठ.	वर्ष 2021-22 से वर्ष 2024-25 तक किए गए आवंटन की तुलना में ग्रामीण स्थानीय निकायों को कम धनराशि जारी करने के कारण	18
ड.	सशर्त (टाईड) निधि का उपयोग शर्तमुक्त (अनटाइड) अनुदान के तहत आने वाले कार्यों के लिए किया जा सकता है	19
ढ.	ग्राम पंचायतों/ग्रामीण स्थानीय निकाय का स्वयं के स्रोतों से राजस्व सृजन करना	20
ण.	ई-ग्रामस्वराज में अंतिम जीपीडीपी अपलोड (2025-2026)	21
	भाग-दो	
	टिप्पणियां/सिफारिशें	23
	अनुबंध	
एक.	समिति की 21 नवम्बर, 2024 को हुई पांचवीं बैठक का कार्यवाही सारांश	34
दो.	समिति की 14 जुलाई, 2025 को हुई तीसवीं बैठक के कार्यवाही सारांश से उद्धरण	37

ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति (2024-2025) की संरचना

श्री सप्तगिरी शंकर उलाका - सभापति

लोक सभा सदस्य

2. श्री संदिपनराव आसाराम भुमरे
3. श्री सुदीप बंदोपाध्याय
4. श्री राजू बिष्ट
5. श्री विजय कुमार दूबे
6. डॉ. संजय जायसवाल
7. श्री भजनलाल जाटव
8. डॉ. मोहम्मद जावेद
9. श्री जुगल किशोर
10. डॉ. डी. रविकुमार
11. श्री नवचरण माझी
12. श्री इमरान मसूद
13. श्री जनार्दन मिश्रा
14. श्री कोटा श्रीनिवास पूजारी
15. श्री के. राधाकृष्णन
16. श्री रमाशंकर राजभर
17. श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह *उर्फ* पवन राजेनिंबालकर
18. श्री परषोत्तमभाई रुपाला
19. श्री देवेन्द्र सिंह*उर्फ* भोलेसिंह
20. श्री गणेश सिंह
21. श्री विवेक ठाकुर

राज्य सभा सदस्य

22. श्रीमती गीता उर्फ चन्द्रप्रभा
23. श्री एच.डी. देवेगौड़ा
24. श्री समीरूल इस्लाम
25. श्री इरण्ण कडाडि
26. श्री नगेन्द्र रॉय
27. श्री अंतियुर पी.सेल्वरासू
28. श्री संत बलबीर सिंह
29. रिक्त
30. रिक्त
31. रिक्त

सचिवालय

1. श्री डी. आर. शेखर	-	अपर सचिव
2. श्री वी.के. शैलोन	-	निदेशक
3. श्री एल. सिंगसन	-	उप सचिव
4. श्री सुशील कुमार	-	कार्यकारी अधिकारी

प्राक्कथन

मैं, ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति (2024-2025) का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर पंचायती राज मंत्रालय की 'पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत निधियों का हस्तांतरण' से संबंधित पन्द्रहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. समिति ने 21 नवम्बर, 2024 को हुई अपनी बैठक में पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर), वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) और वित्त आयोग के प्रतिनिधियों से संक्षिप्त जानकारी ली ।

3. समिति ने 14 जुलाई, 2025 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

4. समिति पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर), वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) और वित्त आयोग के अधिकारियों को विषय की जांच के संबंध में समिति द्वारा अपेक्षित सामग्री उपलब्ध कराने तथा अपनी सुविचारित राय व्यक्त करने के लिए धन्यवाद देती है।

5. समिति, इससे संबद्ध लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों की उनके द्वारा दी गई बहुमूल्य सहायता के लिए सराहना करती है।

नई दिल्ली;
25 जुलाई, 2025
3 श्रावण, 1947 (शक)

श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
सभापति
ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति

पन्द्रहवां प्रतिवेदन

पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत निधियों का हस्तांतरण

भाग - I

व्याख्यात्मक विश्लेषण

क. <u>केंद्रीय वित्त आयोग - राजकोषीय हस्तांतरण</u>

1.1 राज्यों में पंचायतों/ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) को केंद्रीय वित्त आयोगों द्वारा अनुशंसित वित्तीय हस्तांतरण प्रदान किया जाता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 280 केंद्रीय वित्त आयोगों को संघ, राज्यों और उनके संबंधित स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करने और राज्यों और स्थानीय निकायों को विभिन्न उद्देश्यों के लिए करों के साथ-साथ अनुदानों को साझा करने की सिफारिश करने का आधार प्रदान करता है।

1.2 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा सम्मिलित संविधान के अनुच्छेद 280(3) (खख) में कहा गया है कि केंद्रीय वित्त आयोग "राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए किसी राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपायों के बारे" में सिफारिशें करेगा।

1.3 संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के बाद, दसवें वित्त आयोग से शुरू होने वाले केंद्रीय वित्त आयोग इन संवैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार पंचायतों को पुरस्कारों की सिफारिश कर रहे हैं। पंचायती राज मंत्रालय को पंचायतों/ग्रामीण स्थानीय निकायों को केन्द्रीय वित्त आयोग के वित्तीय हस्तांतरण के प्रभावी कार्यान्वयन को सक्षम बनाने के साथ-साथ उसकी निगरानी करने का भी अधिकार है।

ख. <u>पंद्रहवां केंद्रीय वित्त आयोग (XV वि.आ.) (अवधि 2020-26)</u>

1.4 पंद्रहवें वित्त आयोग (XV वि.आ.) ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अपनी अंतरिम रिपोर्ट और वर्ष 2021-26 की अवधि के लिए अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसे भारत सरकार द्वारा ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए सिफारिशों के संबंध में स्वीकार कर लिया गया है। पंद्रहवें वित्त आयोग (XV वि.आ.) के तहत, 28 राज्यों में तीनों स्तरों की पंचायतों

और पारंपरिक स्थानीय निकायों और छठी अनुसूची क्षेत्रों को अंतरिम अवधि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 60,750 करोड़ रुपये का अनुदान आवंटित किया गया और वित्त वर्ष 2021-26 की अवधि के लिए 2,36,805 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। पंद्रहवें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए मूल (अनटाइड) और टाइड अनुदान के रूप में अनुदान की सिफारिश की है। पंद्रहवां वित्त आयोग सहायता अनुदान पंचायती राज के सभी स्तरों को गैर भाग IX राज्यों और पांचवीं और छठी अनुसूची क्षेत्रों के पारंपरिक निकायों सहित दो भागों में आवंटित किया जाता है, अर्थात्, (i) मूल (अनटाइड) अनुदान (2020-21 के लिए 50% और 2021-22 से 2025-26 के लिए 40%) और (ii) टाइड अनुदान (2020-21 के लिए 50% और 2021-22 से 2025-26 के लिए 60%)। मूल अनुदान अनटाइड हैं और इसका उपयोग आरएलबी द्वारा वेतन और अन्य स्थापना लागतों को छोड़कर, संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में निहित उनतीस विषयों के तहत स्थान-विशेष द्वारा महसूस की गई जरूरतों के लिए किया जा सकता है। टाइड अनुदानों का उपयोग (क) स्वच्छता और ओडीएफ स्थिति के रखरखाव और (ख) पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण संबंधी बुनियादी सेवाओं के लिए किया जा सकता है।

1.5 वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 14.07.2021 को जारी प्रचालन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) और पेयजल और स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) को क्रमशः 15वें वित्त आयोग (वि.आ.-XV) के अनटाइड अनुदान और टाइड अनुदान जारी करने के लिए सिफारिशें करने का कार्य सौंपा गया है।

1.6 15वें वित्त आयोग के तहत मूल (अनटाइड) अनुदान की किस्तों को जारी करने संबंधी दिशानिर्देशों में निम्नलिखित शर्तें निर्धारित की गई हैं:

i. आरएलबी को अनुदान के लिए पात्र माना जाएगा, यदि वे विधिवत रूप से गठित हैं, अर्थात यदि विधिवत निर्वाचित निकाय हैं, सिवाय उन राज्यों/क्षेत्रों के जहां संविधान का भाग IX लागू नहीं होता है। यदि सभी निकाय विधिवत रूप से गठित नहीं हैं, तो अनुदान केवल विधिवत रूप से गठित निकायों के लिए वास्तविक आवंटन/अनुपात के आधार पर राज्य को जारी किया जाएगा।

ii. आरएलबी के जीपीडीपी/बीपीडीपी/डीपीडीपी को ईग्रामस्वराज पोर्टल पर अपलोड करना।

iii. आरएलबी को पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदानों के लेन-देन के लिए अनिवार्य रूप से ईग्रामस्वराज-पीएफएमएस पर ऑनबोर्ड होना होगा।

iv. आरएलबी को अनुदान प्राप्त करने के लिए पिछले वर्ष के अनंतिम खाते और पिछले वर्ष से पहले के वर्ष के लेखापरीक्षित खाते दोनों को अनिवार्य रूप से तैयार करना और ऑनलाइन उपलब्ध कराना होगा।

v. राज्य के पास 14वें वित्त आयोग (XIV वि.आ.) अनुदानों का अव्ययित शेष विचाराधीन किस्त के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए।

vi. पिछले वर्ष के दौरान जारी किए गए अनटाइड अनुदानों में से कम से कम 50% का उपयोग किया गया है (केवल वित्तीय वर्ष की दूसरी किस्त जारी करने के लिए वैध)।

vii. जिन राज्यों ने ऐसा नहीं किया है, उन्हें राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) का गठन करना होगा, उनकी सिफारिशों पर कार्रवाई करनी होगी और मार्च, 2024 तक या उससे पहले राज्य विधानमंडल के समक्ष उस पर की गई कार्रवाई के बारे में स्पष्टीकरण ज्ञापन प्रस्तुत करना होगा। मार्च 2024 के बाद, ऐसे राज्यों को कोई अनुदान जारी नहीं किया जाएगा, जिन्होंने एसएफसी और इन शर्तों के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।

1.7 ग्रामीण स्थानीय निकायों को पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदान के आवंटन और जारी की गई धनराशि का विवरण इस प्रकार है:-

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	**वर्ष**	**आवंटन**	**जारी की गई धनराशि**
1	2020-21 (अंतरिम अवधि)	60750.00	60750.00
2	2021-22	44901.00	44648.22
3	2022-23	46513.00	44762.08
4	2023-24	47018.00	44520.33
5	2024-25*	49800.00	15733.50

**(दिनांक 12.11.2024 तक की स्थिति के अनुसार)*

1.8 दिनांक 11.11.2024 तक ग्रामीण स्थानीय निकायों को पंद्रहवें वित्त आयोग (XV वि.आ.) अनुदान का राज्यवार आवंटन और जारी की गई धनराशि

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25		2025-26	कुल	
		आवंटन	जारी धनराशि	आवंटन	जारी धनराशि	आवंटन	जारी धनराशि	आवंटन	जारी धनराशि	आवंटन	जारी धनराशि	आवंटन	आवंटन	जारी धनराशि
1	आंध्र प्रदेश	2625.00	2625.00	1939.00	1917.85	2010.00	1976.75	2031.00	1997.45	2152.00	988.77	2099.00	12856.00	9505.81
2	अरुणाचल प्रदेश	231.00	231.00	170.00	119.00	177.00		179.00		189.00		185.00	1131.00	350.00
3	असम	1604.00	1604.00	1186.00	1186.00	1228.00	1228.00	1241.00	1241.00	1315.00		1283.00	7857.00	5259.00
4	बिहार	5018.00	5018.00	3709.00	3709.00	3842.00	3842.00	3884.00	3855.33	4114.00	1942.17	4012.00	24579.00	18366.50
5	छत्तीसगढ	1454.00	1454.00	1075.00	1075.00	1114.00	1114.00	1125.00	1125.00	1192.00	575.42	1163.00	7123.00	5343.42
6	गोवा	75.00	75.00	55.00	55.00	57.00	24.23	58.00		62.00		61.00	368.00	154.23
7	गुजरात	3195.00	3195.00	2362.00	2362.00	2446.00	2446.00	2473.00	2473.00	2619.00		2555.00	15650.00	10476.00
8	हरियाणा	1264.00	1264.00	935.00	935.00	968.00	967.30	979.00	953.59	1036.00	194.87	1011.00	6193.00	4314.76
9	हिमाचल प्रदेश	429.00	429.00	317.00	317.00	329.00	329.00	332.00	317.41	352.00	58.93	343.00	2102.00	1451.34
10	झारखंड	1689.00	1689.00	1249.00	1249.00	1293.00	1293.00	1307.00	1307.00	1385.00		1351.00	8274.00	5538.00
11	कर्नाटक	3217.00	3217.00	2377.00	2375.50	2463.00	2093.55	2490.00	2086.59	2637.00		2572.00	15756.00	9772.64
12	केरल	1628.00	1628.00	1203.00	1203.00	1246.00	1246.00	1260.00	1260.00	1334.00	933.80	1301.00	7972.00	6270.80
13	मध्य प्रदेश	3984.00	3984.00	2944.00	2944.00	3050.00	3050.00	3083.00	2819.24	3265.00		3185.00	19511.00	12797.24
14	महाराष्ट्र	5827.00	5827.00	4307.00	4267.16	4461.00	3696.71	4510.00	3629.21	4776.00	1619.42	4659.00	28540.00	19039.50
15	मणिपुर	177.00	177.00	131.00	65.50	135.00		137.00		145.00		142.00	867.00	242.50

16	मेघालय	182.00	182.00	135.00	67.50	140.00		141.00		149.00		146.00	893.00	249.50
17	मिजोरम	93.00	93.00	69.00	69.00	71.00	71.00	72.00		76.00		74.00	455.00	233.00
18	नागालैंड	125.00	125.00	92.00	92.00	96.00		97.00		102.00		99.00	611.00	217.00
19	ओडिशा	2258.00	2258.00	1669.00	1669.00	1728.00	1728.00	1747.00	1746.91	1851.00	776.48	1805.00	11058.00	8178.39
20	पंजाब	1388.00	1388.00	1026.00	1026.00	1062.00	1062.00	1074.00	1058.35	1138.00		1110.00	6798.00	4534.35
21	राजस्थान	3862.00	3862.00	2854.00	2854.00	2957.00	2955.34	2989.00	2847.96	3166.00	1267.79	3087.00	18915.00	13787.09
22	सिक्किम	42.00	42.00	31.00	31.00	33.00	33.00	33.00	33.00	35.00	16.69	33.00	207.00	155.69
23	तमिलनाडु	3607.00	3607.00	2666.00	2666.00	2761.00	2761.00	2791.00	2791.00	2957.00	1478.50	2884.00	17666.00	13303.50
24	तेलंगाना	1847.00	1847.00	1365.00	1365.00	1415.00	1415.00	1430.00	1424.18	1514.00		1477.00	9048.00	6051.18
25	त्रिपुरा	191.00	191.00	141.00	141.00	147.00	147.00	148.00	148.00	157.00	78.50	153.00	937.00	705.50
26	उत्तर प्रदेश	9752.00	9752.00	7208.00	7208.00	7466.00	7466.00	7547.00	7547.00	7994.00	3997.00	7797.00	47764.00	35970.00
27	उत्तराखंड	574.00	574.00	425.00	418.70	440.00	439.21	445.00	444.13	471.00		458.00	2813.00	1876.03
28	पश्चिम बंगाल	4412.00	4412.00	3261.00	3261.00	3378.00	3378.00	3415.00	3415.00	3617.00	1805.16	3528.00	21611.00	16271.16
	कुल	**60750.00**	**60750.00**	**44901.00**	**44648.22**	**46513.00**	**44762.08**	**47018.00**	**44520.33**	**49800.00**	**15733.50**	**48573.00**	**297555.00**	**210414.13**
	%		**100**		**99.44**		**96.24**		**94.69**		**31.59**			**70.71**

ग. <u>ऑडिट ऑनलाइन</u>:

1.9 15वें वित्त आयोग ने अपनी सिफारिशों में स्थानीय निकाय स्तर पर लेखापरीक्षित खातों की अनुपलब्धता पर चिंता व्यक्त की है। इस महत्वपूर्ण संस्थागत सुधार का पता लगाने के लिए, पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत खातों के ऑनलाइन ऑडिट करने के लिए 15 अप्रैल, 2020 को ऑडिट ऑनलाइन एप्लिकेशन का शुभारम्भ किया - जिससे पंचायतों के वित्तीय प्रबंधन और पारदर्शिता को और मजबूत किया गया। ऑडिट ऑनलाइन को पंचायत खातों के ऑनलाइन ऑडिट करने और जवाबदेही और पारदर्शिता को और अधिक बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया गया था। ऑडिटऑनलाइन न केवल खातों की ऑडिटिंग की सुविधा प्रदान करता है, बल्कि किए गए ऑडिट रिकॉर्ड को बनाए रखने का प्रावधान भी प्रदान करता है। एप्लिकेशन को ई ग्रामस्वराज के अकाउंटिंग मॉड्यूल के साथ एकीकृत किया गया है, जिससे ऑडिटर पंचायत खातों से संबंधित विभिन्न सूचनाओं जैसे वार्षिक प्राप्ति और भुगतान विवरण, समेकित सार रजिस्टर, मासिक समाधान विवरण, वाउचर विवरण, कैश बुक रिपोर्ट आदि तक पहुँच सकते हैं। ऑडिटऑनलाइन का एक मुख्य विशेष पहलू यह है कि यह पूरी तरह से कॉन्फ़िगर करने योग्य एप्लीकेशन है, अर्थात, इस एप्लीकेशन को राज्यों की लेखापरीक्षा प्रक्रिया की निरन्तरता के अनुसार संशोधित/कॉन्फ़िगर किया जा सकता है।

1.10 पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए प्रचालन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, अनुदान के लिए पात्र होने हेतु ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) को निम्नलिखित शर्तें सुनिश्चित करनी होंगी:

i. **वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए,** राज्यों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि कम से कम 25% ग्रामीण स्थानीय निकायों के पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित खाते सार्वजनिक डोमेन में पहले से ऑनलाइन उपलब्ध हों, अर्थात क्रमशः वर्ष 2019-20 और 2020-21।

ii. **वर्ष 2023-24 से आगे,** सभी ग्रामीण स्थानीय निकायों के पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित खाते सार्वजनिक डोमेन में पहले से ऑनलाइन उपलब्ध होने चाहिए, अर्थात वर्ष 2022-23।

1.11 ऑडिट ऑनलाइन की वर्तमान स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

विवरण	2020-21	2021-22	2022-23
पंजीकृत लेखा परीक्षकों की संख्या	11,102	11,102	11,102
पंजीकृत लेखापरीक्षितों की संख्या*	2,62,924	2,62,260	2,62,236
तैयार की गई लेखापरीक्षा योजनाओं की संख्या	2,45,621	2,60,529	2,57,590
दर्ज टिप्पणियों की संख्या	22,31,821	24,73,332	26,91,067
तैयार की गई लेखापरीक्षा/ऑडिट रिपोर्ट	**2,23,438**	**2,56,163**	**2,51,681**

*(*पंचायती राज संस्थाएँ - जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत और ग्राम पंचायत)*

1.12 लेखापरीक्षा अवधि 2021-22 के लिए ऑडिटऑनलाइन पर राज्यवार प्रगति (7 नवंबर 2024 तक निम्नवत् है:-

क्र. सं.	राज्य का नाम	जिला पंचायतो की कुल संख्या	तैयार रिपोर्ट के साथ जिला पंचायतों की संख्या	बी.पी. की कुल संख्या	तैयार रिपोर्ट के साथ बी.पी. की संख्या	जीपी और समकक्ष की कुल संख्या	तैयार रिपोर्ट के साथ ग्राम पंचायतों की संख्या	पीआरआई की कुल संख्या	तैयार रिपोर्ट के साथ पीआरआई की कुल संख्या
1	आंध्र प्रदेश	13	10	660	660	13,325	13324	13998	13994
2	अरुणाचल प्रदेश	26	16	0	0	2,109	1172	2135	1188
3	असम	30	25	192	187	2,663	2197	2885	2409
4	बिहार	38	38	534	505	8,126	8000	8698	8543
5	छत्तीसगढ	27	27	146	146	11,660	11655	11833	11828
6	गोवा	2	0			191	191	193	191
7	गुजरात	33	33	248	248	14,572	14562	14853	14843
8	हरियाणा	22	22	142	142	6,235	6214	6399	6378
9	हिमाचल प्रदेश	12	12	81	81	3,615	3615	3708	3708
10	झारखंड	24	24	264	264	4,345	4345	4633	4633
11	कर्नाटक	31	0	233	0	5,962	5946	6226	5946
12	केरल	14	14	152	152	941	941	1107	1107
१३	मध्य प्रदेश	52	51	313	310	22,993	22667	23358	23028
14	महाराष्ट्र	34	34	351	351	27,886	27764	28271	28149
15	मणिपुर	12	0			3,812	11	3824	11

16	मेघालय	3						3	0
17	मिजोरम					834	244	834	244
18	नागालैंड					1301	0	1301	0
19	ओडिशा	30	30	314	314	6798	6793	7142	7137
20	पंजाब	23	22	152	152	13266	13218	13441	13392
21	राजस्थान	33	33	352	351	11343	10804	11728	11188
22	सिक्किम	6	4			185	185	191	189
23	तमिलनाडु	36	36	388	388	12525	12525	12949	12949
24	तेलंगाना	32	32	540	540	12769	12769	13341	13341
25	त्रिपुरा	9	9	75	75	1176	1176	1260	1260
26	उत्तराखंड	13	13	95	95	7791	7762	7899	7870
27	उत्तर प्रदेश	75	75	826	826	58193	58189	59094	59090
28	पश्चिम बंगाल	22	21	345	319	3341	3207	3708	3547
	कुल	**652**	**581**	**6403**	**6106**	**257957**	**249476**	**265012**	**256163**

1.13 लेखापरीक्षा अवधि 2022-23 के लिए ऑडिट ऑनलाइन पर राज्यवार प्रगति (7 नवंबर, 2024 तक) निम्नवत् है:-

क्र. सं.	राज्य का नाम	जिला पंचायतों की कुल संख्या	तैयार रिपोर्ट के साथ जिला पंचायतों की संख्या	बी.पी. की कुल संख्या	तैयार रिपोर्ट के साथ बी.पी. की संख्या	जीपी की कुल संख्या	तैयार रिपोर्ट के साथ ग्राम पंचायतों की संख्या	पीआरआई की कुल संख्या	तैयार रिपोर्ट के साथ पीआरआई की कुल संख्या
1	आंध्र प्रदेश	13	13	660	659	13326	13310	13999	13982
2	अरुणाचल प्रदेश	25	19	0	0	2108	2104	2133	2123
3	असम	30	27	192	187	2662	2197	2884	2411
4	बिहार	38	38	534	533	8078	8052	8650	8623
5	छत्तीसगढ	27	27	146	146	11659	11631	11832	11804
6	गोवा	2	0			191	191	193	191
7	गुजरात	33	33	248	248	14615	14587	14896	14868
8	हरियाणा	22	22	143	142	6232	6212	6397	6376
9	हिमाचल प्रदेश	12	12	81	81	3615	3615	3708	3708
10	झारखंड	24	0	264	0	4345	0	4633	0
11	कर्नाटक	31	0	238	0	5951	5951	6220	5951
12	केरल	14	14	152	152	941	941	1107	1107
13	मध्य प्रदेश	52	52	313	312	23030	22981	23395	23345
14	महाराष्ट्र	34	17	351	342	27909	27702	28294	28061

15	मणिपुर	12	0			3812	0	3824	0
16	मेघालय	3	0					3	0
17	मिजोरम					841	0	841	0
18	नागालैंड					1304	0	1304	0
19	ओडिशा	30	30	314	314	6794	6791	7138	7135
20	पंजाब	22	22	152	148	13239	13144	13413	13314
21	राजस्थान	33	33	355	311	11304	10037	11692	10381
22	सिक्किम	6	5			199	186	205	191
23	तमिलनाडु	36	36	388	388	12525	12525	12949	12949
24	तेलंगाना	32	32	540	540	12769	12769	13341	13341
25	त्रिपुरा	9	9	75	75	1176	1176	1260	1260
26	उत्तराखंड	13	13	95	95	7813	7795	7921	7903
27	उत्तर प्रदेश	75	75	826	826	58194	58189	59095	59090
28	पश्चिम बंगाल	22	21	345	326	3339	3220	3706	3567
	कुल	**650**	**550**	**6412**	**5825**	**257971**	**245306**	**265033**	**251681**

घ ऑडिट ऑनलाइन के लाभ

1.14 ऑडिट के माध्यम से जवाबदेही के सिद्धांत को साकार करने के लिए, पंचायती राज मंत्रालय ने ऑनलाइन ऑडिट प्रक्रिया को और अधिक संरचित स्थिति में लाने के लिए 12 जुलाई, 2023 को की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) मॉड्यूल का शुभारम्भ किया। इस तरह के एटीआर मॉड्यूल का उद्देश्य लेखापरीक्षा टिप्पणियों के लिए पंचायतों द्वारा की गई कार्रवाई पर स्पष्टता के माध्यम से जवाबदेही लाना है। एटीआर मॉड्यूल न केवल जमीनी स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करेगा, बल्कि यह सुनिश्चित करने में भी सहायता करेगा कि धन का उपयोग सार्वजनिक उपयोग के लिए किया जा रहा है। यह भी परिकल्पना की गई है कि राज्य पंचायत अनंतिम खातों के लिए लेखापरीक्षा प्रक्रिया को दिए गए वित्तीय वर्ष में पूरा होते ही गति प्रदान करेंगे और अगले वर्ष में जल्द ही लेखापरीक्षा प्रक्रिया का पालन किया जाएगा; और राज्यों से लेखापरीक्षा पूरी करने की अपेक्षा की जाएगी। इस संबंध में राज्यों को दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं। एटीआर मॉड्यूल को लेखापरीक्षा अवधि 2023-24 के लिए लागू किया जाएगा और एटीआर पूरा करने की समय-सीमा 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक होगी।

ङ. मानकीकृत लेखापरीक्षक प्रमाणपत्र

1.15 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) के कार्यालय ने वर्ष 2021 में "पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय लेखापरीक्षा संबंधी दिशानिर्देश" जारी किए थे। इन दिशानिर्देशों को वित्तीय/प्रमाणन लेखापरीक्षा प्रक्रिया और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं में स्पष्टता लाने के उद्देश्य से तैयार किया गया था, क्योंकि ये 'अनुपालन' और 'कार्य-निष्पादन' लेखापरीक्षा से अलग हैं। साथ ही, ये दिशानिर्देश केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और पंचायती राज संस्थाओं में वित्तीय लेखापरीक्षा के ढांचे और खातों की संरचना को समाहित करते हैं। सी एण्ड एजी के कार्यालय ने दिशानिर्देश में ऑडिटऑनलाइन में शामिल किए जाने के लिए एक "मानकीकृत लेखापरीक्षक प्रमाणपत्र" भी निर्धारित किया है।

लेखापरीक्षा अवधि 2022-23 से, संबंधित प्राथमिक लेखापरीक्षक, यानी राज्य लेखा परीक्षा विभाग, राज्य स्थानीय निधि लेखापरीक्षा निदेशालय, राज्य महालेखाकार इस मानकीकृत लेखापरीक्षक प्रमाणपत्र को संलग्न रिपोर्ट और संबंधित पीआरआई की प्राप्ति और भुगतान विवरण के साथ तैयार करेंगे। इससे ऑडिट रिपोर्ट और विवरणों की एकरूपता सुनिश्चित होगी जो दर्ज की जा रही टिप्पणियों की प्रकृति पर स्पष्टता के साथ तैयार की जाती हैं।

च. राज्य वित्त आयोग

1.16 संविधान के अनुच्छेद 243-I में राज्य वित्त आयोगों (एसएफसी) के गठन का प्रावधान है, जिसके पास राज्य द्वारा लगाए जाने वाले करों, शुल्कों, पथकरों, और फीसों की शुद्ध आय को राज्य और पंचायतों के बीच वितरित करने की सिफारिश करने के लिए संदर्भ की शर्तें होंगी और करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों को पंचायतों को समनुदिष्ट की जा सकेंगी या उनके द्वारा विनियोजित की जा सकेंगी, ताकि पंचायतों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए राज्य के स्वयं के राजस्व स्रोतों में से पंचायतों के लिए सहायता अनुदान प्राप्त हो सके।

1.17 वित्त वर्ष 2024-25 से 15वें वित्त आयोग अनुदान प्राप्त करने के लिए एसएफसी के उचित गठन और सिफारिशों के कार्यान्वयन की पात्रता शर्त के अनुपालन को सक्षम बनाने के लिए, पंचायती राज मंत्रालय इस मानदंड की पूर्ति के लिए राज्यों के साथ सक्रिय रूप से संपर्क कर रहा है। इन प्रयासों के कारण, कई राज्यों ने इसके लिए सक्रिय कदम उठाए हैं।

1.18 राज्यों में एसएफसी के गठन की वर्तमान स्थिति नीचे दी गई है:

क्र.सं.	राज्य	संख्या	अवार्ड अवधि	गठित की गई	रिपोर्ट	एटीआर
1	आंध्र प्रदेश	5वें	2025-30	18 मार्च, 2023	30 सितम्बर 2024 तक प्रस्तुत किया जाना है।	चौथे एसएफसी की अवार्ड अवधि लाइव है (2024-25 तक) और चौथे एसएफसी की एटीआर 08.02.2024 को सदन में रखी गई है।
2	अरुणाचल प्रदेश	द्वितीय			द्वितीय एसएफसी रिपोर्ट जून, 2014 में प्रस्तुत की गई थी, लेकिन इसकी एटीआर विधानसभा में प्रस्तुत नहीं की गई थी।	
3	असम	7वां	2025-30	01 जुलाई, 2024	16.12.2024 तक प्रस्तुत किया जाना है।	6वें एसएफसी की अवार्ड अवधि लाइव है (2024-25 तक) और 6वें एसएफसी की एटीआर 30.06.2021 को सदन में प्रस्तुत की गई है।
4	बिहार	6वां	2021-26	20 फरवरी, 2019	30 अप्रैल, 2021 को प्रस्तुत किया गया	कार्यान्वित किया गया। एटीआर 02.12.2021 को प्रस्तुत की गई।
5	छत्तीसगढ़	चतुर्थ	2025-30	29 जुलाई, 2021	प्रस्तुत नहीं किया गया।	तृतीय एसएफसी की अवार्ड अवधि लाइव है (2024-25 तक) और तीसरे एसएफसी की एटीआर अक्टूबर, 2019 को सदन में रखी गई है
6	गोवा	तृतीय	2024-29	31 दिसंबर, 2021 को पुनर्गठित किया गया	31.01.2024 को प्रमुख अनुशंसाएँ प्रस्तुत की गईं। 28.06.2024 को माननीय राज्यपाल को अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। माननीय राज्यपाल कार्यालय से परामर्श हेतु मिलने के समय की प्रतीक्षा है।	एटीआर 08.02.2024 को विधानसभा में प्रस्तुत की गई।
7	गुजरात	चतुर्थ	-	04.11.2024	हाल ही में गठित किया गया।	हाल ही में गठित किया गया।
8	हरियाणा	6वां	2021-26	22.09.2020	23.12.2021	कार्यान्वित किया गया। एटीआर दिनांक 18.02.2023

क्र.सं.	राज्य	संख्या	अवार्ड अवधि	गठित की गई	रिपोर्ट	एटीआर
						को प्रस्तुत की गई।
9	हिमाचल प्रदेश	7वां	2027-32	01.03.2024	अभी प्रस्तुत किया जाना है।	6वें एसएफसी की अवार्ड अवधि 2027 तक है। 31.10.2022 में रिपोर्ट प्रस्तुत कर कार्यान्वित की गई। एटीआर 22.03.2023 को विधानसभा में प्रस्तुत की गई।
10	झारखंड	5वां	2024-2029	23.02.2024	हाल ही में गठित एसएफसी	
11	कर्नाटक	5वां	2024-29	11 अक्टूबर, 2023	2024-25 की अवधि के लिए अंतरिम रिपोर्ट 28.02.2024 को प्रस्तुत की गई। अंतिम रिपोर्ट 28.02.2025 तक प्रस्तुत की जाएगी	2024-25 के लिए एटीआर प्रस्तुत नहीं की गई। पूरी अवधि के लिए अंतिम एटीआर प्रस्तुत की जानी है
12	केरल	7वां	2026-2031	सितंबर, 2024	अभी प्रस्तुत करना शेष है	6वें एसएफसी की अवार्ड अवधि 2026 तक रहेगी। मई, 2022 में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और कार्यान्वित की जाएगी।
13	मध्य प्रदेश	5वां	2020-25	20 मार्च, 2017 को गठित। 2025-26 तक विस्तारित	30 अप्रैल, 2019	कार्यान्वित किया गया। एटीआर 18.02.2022 को विधानसभा में प्रस्तुत की गई।
14	महाराष्ट्र	5वां	2020-25	28.03.2018	20.08.2019	5वें एसएफसी की अवार्ड अवधि लाइव है (2024-25 तक) । 15.12.2020 को एटीआर प्रस्तुत कर कार्यान्वित की गई।
15	मणिपुर	चतुर्थ	2021-26	अक्टूबर, 2019	जुलाई 2021 में प्रस्तुत की गई	एटीआर प्रस्तुत की जाएगी
16	ओडिशा	5वां	2021-26	05.05.2018	02.08.2019 को प्रस्तुत की गई	कार्यान्वित की गई। 17.02.2020 को एटीआर प्रस्तुत की गई

क्र.सं.	राज्य	संख्या	अवार्ड अवधि	गठित की गई	रिपोर्ट	एटीआर
17	पंजाब	6वां	2021-26	3 जुलाई, 2018	29 मार्च, 2022 को प्रस्तुत की गई	29.03.2022 को एटीआर प्रस्तुत कर कार्यान्वित की गई।
18	राजस्थान	6वां	2020-25	12 अप्रैल 2021	अंतरिम रिपोर्ट 28.06.2021 को प्रस्तुत की गई। अंतिम रिपोर्ट 21.09.2023 को प्रस्तुत की गई	कार्यान्वित की गई। 02.09.2021 को (अंतरिम) और 06.02.2024 को (अंतिम) एटीआर प्रस्तुत की गई।
19	सिक्किम	6वां	2025-30	20 जून 2022	20.02.2024 को प्रस्तुत की गई	5वें एसएफसी की अवार्ड अवधि लाइव है (2024-25 तक) । 5वें एसएफसी की रिपोर्ट दिनांक 24.08.2017 को प्रस्तुत की गई और मार्च, 2018 में एटीआर प्रस्तुत कर कार्यान्वित की गई।
20	तमिलनाडु	6वां	2022-27	06.03.2020	8 मार्च, 2022	कार्यान्वित किया गया। 13.01.2023 को एटीआर प्रस्तुत की गई।
21	तेलंगाना	द्वितीय		17.02.2024	प्रथम एसएफसी (2020-21 से 2024-25) वर्ष 2015 में गठित किया गया। रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और एटीआर विधानसभा में प्रस्तुत की गई	कार्यान्वित। प्रथम एसएफसी की अवार्ड अवधि लाइव है (2020-21 से 2024-25 तक) वर्ष 2015 में गठित। 15.02.2024 को एटीआर प्रस्तुत की गई।
22	त्रिपुरा	5वां	2021-26	4 जून, 2020	फरवरी, 2021	कार्यान्वित किया गया। 09.01.2024 को एटीआर प्रस्तुत की गई
23	उत्तर प्रदेश	6वां		15.01.2024		कार्यान्वित किया गया। 5वें एसएफसी की अवार्ड अवधि लाइव है (2024-25 तक)। 5वें एसएफसी की रिपोर्ट 31.10.2018 को प्रस्तुत की गई और अप्रैल, 2020 में एटीआर विधान सभा में प्रस्तुत की गई।

क्र.सं.	राज्य	संख्या	अवार्ड अवधि	गठित की गई	रिपोर्ट	एटीआर
24	उत्तराखंड	5वां	2021-26	04.11.2019	19 जुलाई, 2021 को प्रस्तुत की गई।	कार्यान्वित किया गया। 30.03.2022 को एटीआर प्रस्तुत की गई।
25	पश्चिम बंगाल	5वां	2020-25	23 मई, 2022	30 सितंबर, 2023 को प्रस्तुत की गई।	कार्यान्वित किया गया।

छ. पंचायती राज मंत्रालय की भूमिका

1.19 समिति को दिए गए लिखित उत्तर में बताया गया है कि भारत सरकार का पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) ग्रामीण स्थानीय निकायों की अनटाइड अनुदान के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करेगा। यह नीचे उल्लिखित शर्तों के अनुपालन का आकलन करेगा।

(i) अनुदान के लिए पात्र होने के लिए, आरएलबी को अनुदान प्राप्त करने के लिए प्रवेश स्तर की शर्तों के रूप में विगत वर्ष के अनंतिम खाते और विगत वर्ष के लेखा परीक्षित खाते दोनों अनिवार्य रूप से तैयार करने और ऑनलाइन उपलब्ध कराने होंगे। हालांकि, वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए, राज्यों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि कम से कम 25 प्रतिशत आरएलबी के पास विगत वर्ष के अनंतिम खाते और विगत वर्ष से पहले के लेखापरीक्षित खाते, एमओपीआर ई-ग्रामस्वराज और ऑडिट ऑनलाइन के अलावा सार्वजनिक डोमेन में ऑनलाइन उपलब्ध हों ताकि वे उस वर्ष में पूर्ण अनुदान प्राप्त कर सकें। वर्ष 2023-24 के बाद के लिए, सभी आरएलबी के पास विगत वर्ष के अनंतिम खाते और विगत वर्ष से पहले के लेखापरीक्षित खाते, एमओपीआर ई-ग्रामस्वराज और ऑडिट ऑनलाइन के अलावा सार्वजनिक डोमेन में ऑनलाइन उपलब्ध होने चाहिए पंचायती राज मंत्रालय, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से, ई-ग्रामस्वराज/ऑडिट ऑनलाइन पर अपलोड किए जाने वाले लेखापरीक्षित और अनंतिम खातों के आवश्यक प्रारूप तैयार कर सकता है।

(ii) आरएलबी को ऊपर पैरा 2 में वर्णित अनुदान जारी करने के लिए पात्र माना जाएगा, यदि ग्रामीण निकाय विधिवत रूप से गठित हैं, अर्थात यदि विधिवत निर्वाचित निकाय मौजूद हैं, सिवाय उन राज्यों/क्षेत्रों के जहां संविधान का भाग नौ लागू नहीं होता है। यदि सभी निकाय विधिवत रूप से गठित नहीं हैं, तो राज्य

को अनुदान केवल विधिवत रूप से गठित निकायों के लिए आनुपातिक आधार पर जारी किया जाएगा।

(iii) पंद्रहवें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि जिन राज्यों ने ऐसा नहीं किया है, वे राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) का गठन करें, उनकी सिफारिशों पर कार्य करें और उन पर की गई कार्रवाई के संबंध में स्पष्टीकरण ज्ञापन मार्च 2024 तक या उससे पहले राज्य विधानमंडल के समक्ष रखें। मार्च 2024 के बाद, किसी ऐसे राज्य को कोई अनुदान जारी नहीं किया जाएगा, जिसने एसएफसी और इन शर्तों के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।

1.20 ऐसे आकलन के आधार पर, पंचायती राज मंत्रालय, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय को अनुदान जारी करने की सिफारिश करेगा। चूंकि, अनुदान जारी करने के लिए ऊपर निर्धारित पात्रता शर्तें टाइड और अनटाइड अनुदानों के लिए समान हैं, इसलिए, पंचायती राज मंत्रालय ग्रामीण स्थानीय निकायों/राज्यों के बारे में डीडीडब्ल्यूएंडएस को भी सूचित करेगा जिन्होंने इन शर्तों का अनुपालन किया है। यह ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) के संबंध में 15वें वित्त आयोग की शेष सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी भी करेगा। पंचायती राज मंत्रालय ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) को शामिल करने में उनकी सहायता कर सकता है और उन्हें तकनीकी मार्गदर्शन भी दे सकता है ताकि वे ऊपर उल्लिखित शर्तों का अनुपालन करने में सक्षम हो सकें।

ज. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) की भूमिका:

1.21 पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार (डीडीडब्ल्यूएंडएस) ग्रामीण स्थानीय निकायों को टाइड अनुदान के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करेगा। डीडीडब्लूएंडएस एमओपीआर से प्राप्त जानकारी के आधार पर और नीचे उल्लिखित शर्तों के अतिरिक्त मूल्यांकन के बाद, उन निकायों/राज्यों के लिए व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय को टाइड अनुदान जारी करने की सिफारिश करेगा, जिन्होंने उपरोक्त क्रम संख्या (i) से (iii) में निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया है।

(i) आरएलबी द्वारा डीडीडब्ल्यूएस द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्वच्छता और पेयजल आपूर्ति के लिए गांव/ब्लॉक/जिले की वार्षिक कार्य योजना का विवरण युक्त ग्राम पंचायतडीपी/बीडीपी/डीडीपी को ई-ग्रामस्वराज (या डीडीडब्ल्यूएस-आईएमआईएस के माध्यम से) में अपलोड करना। पेयजल आपूर्ति के लिए वार्षिक कार्य योजना में निम्नलिखित शामिल होंगे: - पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण के बारे में विवरण। स्थानीय निकाय में एसएलडब्ल्यूएम सुधारों की वार्षिक योजना और कार्यान्वयन।

(ii) वेबसाइट पर 15वें वित्त आयोग की निधियों (दोनों घटक) के उपयोग के बारे में विवरण अपलोड करना

(iii) कोई और वे शर्तें जिन्हें डीडीडब्ल्यूएस निर्धारित अनुदान के घोषित उद्देश्य के संबंध में उपयुक्त समझे।

1.22 डीडीडब्ल्यूएंडएस, आरएलबी को निर्धारित अनुदान घटक या निधियों के कुशल उपयोग के लिए अपनाई जाने वाली योजनाओं/प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन में तकनीकी मार्गदर्शन भी प्रदान करेगा।

झ. वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की भूमिका:-

1.23 नोडल मंत्रालयों अर्थात एमओपीआर और डीडीडब्लूएंडएस, जल शक्ति मंत्रालय से सिफारिशें प्राप्त होने पर, व्यय विभाग (एफसीडी), वित्त मंत्रालय संबंधित राज्यों को अनुदान की उचित किस्त जारी करेगा, बशर्ते कि उपरोक्त दिशा-निर्देशों में निर्धारित सभी शर्तें पूरी की जाएं। राज्य सरकार द्वारा इन क्षेत्रों के लिए आवंटित अनुदान के आधार पर सभी बहिष्कृत क्षेत्रों (जहां संविधान का भाग नौ लागू नहीं होता है) सहित अनुसूची ग्यारह क्षेत्रों के लिए अनुदान अलग से जारी किया जाएगा।

ञ. ग्रामीण स्थानीय निकायों को अंतरित निधि के दुर्विनियोजन पर कार्रवाई

1.24 केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण और मॉनीटरिंग प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) के माध्यम से या प्रत्यक्ष माध्यम से आरएलबी के धन के दुरुपयोग/ दुर्विनियोजन के बारे में प्राप्त शिकायतें, जब भी एमओपीआर में प्राप्त होती हैं, तो उन्हें आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भेज दिया जाता है, क्योंकि पंचायत एक विषय के रूप में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में आता है और वे पंचायती राज संस्थाओं के खिलाफ शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए प्रशासनिक प्राधिकारण हैं।

ट. ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुशंसित पंद्रहवें वित्त आयोग के मूल (अनटाइड) अनुदानों का उपयोग

1.25 15वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) को मूल अनुदान (अनटाइड) के रूप में 40% आवंटन की सिफारिश की है। मूल (अनटाइड) अनुदान से किए जाने वाले कार्यों/गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

संबंधित राज्य विभागों के परामर्श से स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण के राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से संबंधित गतिविधियाँ; बच्चों का टीकाकरण; बच्चों के कुपोषण की रोकथाम; ग्राम पंचायत भवनों का निर्माण और मरम्मत; ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत) और अंतर ग्राम

पंचायत के भीतर सड़कों का निर्माण, मरम्मत और रखरखाव; ग्राम पंचायत और अंतर ग्राम पंचायत के भीतर फुटपाथों का निर्माण और मरम्मत; एलईडी स्ट्रीट लाइट और सौर प्रकाश व्यवस्था का निर्माण, मरम्मत और रखरखाव, जैसा लागू हो (सौर स्ट्रीट लाइट व्यक्तिगत खंभे या केंद्रीकृत सौर पैनल प्रणाली हो सकती है) - ग्राम पंचायत और अंतर ग्राम पंचायत के भीतर; भूमि का अधिग्रहण और कब्रगाहों का रखरखाव; श्मशान का निर्माण, मरम्मत और रखरखाव; ग्राम पंचायत के भीतर पर्याप्त और उच्च बैंडविड्थ वाई-फाई डिजिटल नेटवर्क सेवाएं प्रदान करना; सार्वजनिक पुस्तकालय; बच्चों के पार्क, खेल का मैदान, ग्रामीण हाट, खेल और शारीरिक फिटनेस उपकरण आदि सहित मनोरंजन सुविधाएं, संगत राज्य कानूनों के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा सौंपी गई कोई अन्य बुनियादी बेहतर/उन्नत सेवा, बिजली के लिए आवर्ती व्यय, आउटसोर्सिंग आधार पर मैनपावर तथा यथावश्यक अन्य प्रशासनिक व्यय(10% सीमा के भीतर) प्राकृतिक आपदाओं/महामारी की स्थिति में तत्काल राहत कार्य; विभिन्न अधिनियमों/कानूनों के तहत पंचायतों को विशेष रूप से सौंपी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन जैसे जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत लोगों के जैव विविधता रजिस्टर (पीबीआर) की तैयार करना और अद्यतन करना।

1.26 ग्रामीणों को सेवाएं प्रदान करने के लिए आरएलबी वार्षिक रखरखाव अनुबंध/सेवा अनुबंध कर सकते हैं। हालांकि, नकारात्मक सूची में अनुदान से व्यय, अर्थात् अन्य योजनाओं से पहले से ही वित्तपोषित वस्तुओं पर व्यय, अभिनंदन/सांस्कृतिक समारोह/सजावट/उद्घाटन, मानदेय, निर्वाचित प्रतिनिधियों का टीए/डीए और मौजूदा कर्मचारियों/स्थायी और अनुबंध के वेतन/मानदेय, भत्ते/पुरस्कार, मनोरंजन, वाहनों और एयर कंडीशनर की खरीद को इस घटक के तहत अनुमति नहीं है।

1.27 यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि व्यय की उपरोक्त मदें सांकेतिक हैं। एफसी-पंद्रह के तहत मूल (अनटाइड) अनुदान का उपयोग स्थानीय निकायों द्वारा वेतन और अन्य स्थापना लागतों को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। हालाँकि, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित सामाजिक लेखापरीक्षा सहित बाहरी एजेंसियों द्वारा खातों की लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक व्यय इस अनुदान से वहन किया जा सकता है।

1.28 पंद्रहवें वित्त आयोग मूल (अनटाइड) अनुदान व्यय के तकनीकी और प्रशासनिक घटकों की सांकेतिक सूची

i. अनुबंध/आउटसोर्सिंग के आधार पर पेशेवर व्यक्तियों की भर्ती - लेखाकार सह डेटा एंट्री ऑपरेटर, तकनीशियन, इंजीनियर आदि

ii. पंचायतों/परंपरागत निकायों में कंप्यूटर और सहायक उपकरणों की खरीद, जिनके पास वर्तमान में कोई कंप्यूटर नहीं है, साथ ही एएमसी की लागत
iii. इंटरनेट कनेक्टिविटी और आवर्ती शुल्क का प्रावधान
iv. ग्राम पंचायत कार्यालय के लिए आवश्यक फर्नीचर की एकमुश्त खरीद
v. सिविल कार्यों की गुणवत्ता का निरीक्षण करने के लिए आने वाले पेशेवर व्यक्तियों की लागत को पूरा करना
vi. सामान्य सेवा केन्द्रों (सीएससी) को भुगतान सहित डेटा प्रविष्टि लागत
vii. खातों का अद्यतनीकरण
viii. कार्यों के निरीक्षण के लिए आपातकालीन मामलों में वाहनों का किराया प्रभार
ix. परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए परियोजना रिपोर्ट और तकनीकी योजना तैयार करने की लागत
x. जीपीडीपी तैयार करने की लागत - इसमें आईईसी, सर्वेक्षण, मानचित्र और अन्य दस्तावेज तैयार करना और परामर्श आयोजित करना जैसी सभी प्रक्रियाएं तथा आवश्यक उपभोग्य सामग्रियों की लागत शामिल है।

ठ. वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक किए गए आवंटन की तुलना में ग्रामीण स्थानीय निकायों को कम धनराशि जारी करने के कारण

1.29 वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक किए गए आवंटन की तुलना में ग्रामीण स्थानीय निकायों को कम धनराशि जारी करने के कारणों के बारे में एक प्रश्न के उत्तर में, यह बताया गया है कि 15वें वित्त आयोग का अनुदान केवल उन्हीं क्षेत्रीय स्थानीय निकायों को जारी किया जा रहा है, जिन्होंने आनुपातिक आधार पर निम्नलिखित अनिवार्य शर्तें पूरी कर ली हैं। ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) को आवंटित राशि से कम धनराशि जारी किया जाता है। ये कारण वित्त मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के दौरान आरएलबी अनुदान के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिश के कार्यान्वयन के लिए जारी किए गए परिचालन दिशा-निर्देशों के अनुरूप हैं। ये निम्नानुसार हैं:

i. आरएलबी को अनुदान के लिए पात्र माना जाएगा यदि वे विधिवत रूप से गठित हैं, अर्थात यदि विधिवत निर्वाचित निकाय मौजूद हैं, सिवाय उन राज्यों/क्षेत्रों के जहां संविधान का भाग नौ लागू नहीं होता है। यदि सभी निकाय विधिवत रूप से गठित नहीं हैं, तो राज्य को अनुदान केवल विधिवत रूप से गठित निकायों के लिए वास्तविक आवंटन/अनुपात के आधार पर जारी किया जाएगा।

ii. वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए आरएलबी के जीपीडीपी/बीपीडीपी/डीपीडीपी को ई-ग्रामस्वराज में अपलोड करना, जैसा भी मामला हो

iii. आरएलबी को पंद्रहवे वित्त आयोग के अनुदानों के लेन-देन के लिए अनिवार्य रूप से ई-ग्रामस्वराज-पीएफएमएस पर ऑनबोर्ड होना होगा

iv. वित्त वर्ष 2020-21 और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आरएलबी के अनंतिम खातों का कम से कम 25% क्रमशः वित्त वर्ष 2021-22 और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अनुदान जारी करने के लिए ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध होना चाहिए। पिछले वित्त वर्ष के लिए आरएलबी के सभी 100% अनंतिम खाते वित्त वर्ष 2023-24 के अनुदान के लिए ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध होने चाहिए।

v. वित्त वर्ष 2020-21 और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आरएलबी के वार्षिक खातों का कम से कम 25% लेखापीक्षा क्रमशः वित्त वर्ष 2021-22 और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अनुदान जारी करने के लिए ऑडिट ऑनलाइन पर पूरा किया जाना चाहिए। वित्त वर्ष 2023-24 से आगे के अनुदानों के लिए विगत वर्ष के लिए आरएलबी के वार्षिक खातों का 100% ऑडिट ऑडिट ऑनलाइन पर पूरा किया जाना चाहिए।

vi. राज्य के पास चौदहवें वित्त आयोग के अनुदान का अप्रयुक्त शेष विचाराधीन किस्त के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए

vii. राज्य द्वारा 10 दिनों के भीतर पिछली किस्त की धनराशि को आरएलबी को हस्तांतरित करना।

viii. विगत वर्ष के दौरान जारी किए गए अनटाइड अनुदान का कम से कम 50% उपयोग किया गया है (केवल वित्तीय वर्ष की दूसरी किस्त जारी करने के लिए वैध)

ix. जिन राज्यों ने ऐसा नहीं किया है, उन्हें राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) का गठन करना होगा, उनकी सिफारिशों पर कार्य करना होगा और मार्च 2024 तक या उससे पहले राज्य विधानमंडल के समक्ष की गई कार्रवाई के संबंध में स्पष्टीकरण ज्ञापन प्रस्तुत करना होगा। मार्च 2024 के बाद, ऐसे राज्यों को कोई अनुदान जारी नहीं किया जाएगा, जिन्होंने एसएफसी और इन शर्तों के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।

ड. संयुक्त अनुदान के अंतर्गत आने वाले कार्यों के लिए सशर्त (टाइड) निधि का उपयोग किया जा सकता है

1.30 15वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) के लिए अनटाइड एवं टाइड अनुदान के रूप में अनुदान की सिफारिश की। 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत कुल अनुदान का 40% अनटाइड अनुदान, ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) द्वारा वेतन या

अन्य स्थापना व्यय को छोड़कर, संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में निहित 29 विषयों के अंतर्गत स्थान-विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए उपयोग किया जा सकता है। और टाइड अनुदान जो कुल अनुदान का 60% हिस्सा है, निम्न बुनियादी सेवाओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है: (क) कुल अनुदान का 30% हिस्सा स्वच्छता और खुले में शौच से मुक्ति की स्थिति को बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसमें घरेलू कचरे का प्रबंधन और उपचार, मानव मल और मल प्रबंधन शामिल है और (ख) कुल अनुदान का 30% हिस्सा पीने के पानी की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि किसी स्थानीय निकाय ने एक श्रेणी की ज़रूरतों को पूरी तरह से पूरा कर लिया है, तो वह दूसरी श्रेणी के लिए धन का उपयोग कर सकता है। तथापि, टाइड अनुदान के मामले में, यदि किसी आरएलबी ने एक श्रेणी की जरूरतों को पूरी तरह से पूरा कर लिया है और उस उद्देश्य के लिए धन की आवश्यकता नहीं है, तो वह दूसरी श्रेणी के लिए निधियों का उपयोग कर सकता है। इस तरह की संतृप्ति को संबंधित ग्राम सभा/ग्राम सभा द्वारा प्रमाणित किया जाएगा और पंचायतों या राज्य सरकार के पर्यवेक्षण प्राधिकरण द्वारा विधिवत पुष्टि की जाएगी।

ढ. ग्राम पंचायतों/ग्रामीण स्थानीय निकायों का स्वयं के स्रोतों से राजस्व सृजन

1.31 ग्राम पंचायतों/ग्रामीण स्थानीय निकायों के स्वयं के राजस्व स्रोत के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण।

स्वयं के राजस्व स्रोत

पंचायतों की वित्तीय स्वायत्तता बढ़ाना

Panchayati Raj

फोकस का क्षेत्र	विवरण
कराधान शक्तियां (अनुच्छेद 243ज)	• राज्य पंचायतों को कर, शुल्क, टोल, फीस लगाने के लिए अधिकृत कर सकते हैं • कर-आधारित ओएसआर (स्वयं के राजस्व स्रोत) के माध्यम से स्थानीय सरकार के रूप में पंचायत की पहचान को मजबूत करता है • निर्वाचित प्रतिनिधियों की हिचकिचाहट और प्रशासनिक सीमाओं के कारण सीमित ओएसआर जुटाना।
ओएसआर के लिए मैचिंग अनुदान	• ओएसआर के आधार पर मैचिंग अनुदान • अंडमान और निकोबार द्वीप: प्रोत्साहन के रूप में ओएसआर का 3 गुना तक • गोवा: पंचायत की आय के आधार पर 20,000 - 4.25 लाख रुपये
राजस्व साझाकरण	• पंचायतों के विभिन्न स्तरों पर स्थानीय खनन से प्राप्त रॉयल्टी का बंटवारा • स्थानीय गवर्नेंस और वित्तीय स्वायत्तता को मजबूत करने के लिए ग्राम पंचायतों के साथ जीएसटी और जिला खनिज निधि (डीएमएफ) राजस्व का बंटवारा • विकेंद्रीकरण में वृद्धि - सामुदायिक विकास के लिए संसाधनों के साथ पंचायतों को सशक्त बनाना
कर संग्रहण में प्रौद्योगिकी का उपयोग	• संपत्ति कर आकलन के लिए स्वामित्व डेटा जैसे साधनों का उपयोग
कार्यों का हस्तांतरण	• यूएलबी आवंटन के समान, पंचायतों के साथ संपत्ति हस्तांतरण शुल्क राजस्व (स्टाम्प ड्यूटी) साझा करने का प्रस्ताव।

राज्यवार ओएसआर विवरण (1/2)

क्र.सं.	राज्य	आबादी	ग्राम पंचायतों की संख्या	2017-2022 की अवधि के लिए औसत ओएसआर (राशि लाख ₹ में)	प्रति व्यक्ति ओएसआर (₹)	प्रति पंचायत औसत ओएसआर (राशि लाख ₹ में)
1	अंडमान एवं निकोबार (संघ राज्य क्षेत्र)	2,57,270	70	242	94	3.46
2	आंध्र प्रदेश	3,78,70,409	13,326	79,193	209	5.94
3	असम	3,12,24,416	2,197	2,295	7	1.04
4	बिहार	9,93,47,675	8,054	3,789	4	0.47
5	छत्तीसगढ़	2,12,13,310	11,650	14,901	70	1.28
6	गोवा	9,92,170	191	16,225	1,635	84.95
7	गुजरात	4,17,23,435	14,621	82,975	199	5.68
8	हरियाणा	1,82,81,907	6,225	7,499	41	1.20
9	हिमांचल प्रदेश	72,65,349	3,615	57	1	0.02
10	जम्मू और कश्मीर (संघ राज्य क्षेत्र)	1,07,10,174	4,291	342	3	0.08
11	झारखंड	2,98,41,263	4,345	557	2	0.13
12	कर्नाटक	4,24,77,078	5,953	62,756	148	10.54
13	केरल	2,80,58,470	941	80,295	286	85.33
14	लद्दाख (संघ राज्य क्षेत्र)	2,44,906	193	10	4	0.05
15	लक्षद्वीप (संघ राज्य क्षेत्र)	58,706	10	3	5	0.30

स्रोत: आरएलबी के ओएसआर संबंधी विशेषज्ञ समिति, 2022, एमओपीआर से प्राप्त

राज्यवार ओएसआर विवरण (2/2)

क्र. सं.	राज्य	आबादी	ग्राम पंचायतों की संख्या	2017-2022 की अवधि के लिए औसत OSR (राशि लाख₹ में)	प्रति व्यक्ति ओएसआर (₹)	प्रति पंचायत औसत ओएसआर (राशि लाख₹ में)
16	मध्य प्रदेश	5,76,56,562	23,011	8,458	15	0.37
17	मणिपुर	24,18,717	161	49	2	0.30
18	मिजोरम	6,20,495	N.A	5	1	N.A
19	नागालैंड	29,26,700	N.A	-	-	N.A
20	ओडिशा	3,71,77,485	6,794	4,209	11	0.62
21	पुडुचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	5,20,405	108	3,940	757	36.48
22	पंजाब	1,81,67,287	13,241	15,836	87	1.20
23	राजस्थान	5,62,22,862	11,208	5,089	9	0.45
24	सिक्किम	5,05,026	199	125	25	0.63
25	तमिलनाडु	4,72,37,378	12,525	51,630	109	4.12
26	तेलंगाना	2,15,42,108	12,772	34,309	159	2.69
27	त्रिपुरा	37,79,734	589	359	9	0.61
28	उत्तर प्रदेश	16,89,74,377	57,691	21,814	13	0.38
29	उत्तराखंड	72,17,368	7,795	1,469	20	0.19
30	पश्चिम बंगाल	7,60,25,444	3,339	43,517	57	13.03
	कुल	**8,69,509,845**	**2,25,115**	**511,898**	**59**	**2.27**

स्रोत: आरएलबी के ओएसआर संबंधी विशेषज्ञ समिति, 2022, एमओपीआर से प्राप्त

ण. ई-ग्राम स्वराज (2025-2026) में अपलोड की गई अंतिम जीपीडीपी

1.32 25.06.2025 तक अभियान वर्ष (2024-2025) के संबंध में ईग्रामस्वराज (2025-2026) में अपलोड की गई अंतिम जीपीडीपी का विवरण (डाटा स्रोत https://gpdp.nic.in/planPlusReport.html)

क्र. सं.	राज्य का नाम	कुल ग्राम पंचायत	अपलोड की गई योजनाओं वाली ग्राम पंचायत
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	264	67
2	आंध्र प्रदेश	13327	13320
3	अरुणाचल प्रदेश	2108	2085

4	असम	2656	1799
5	बिहार	8054	8053
6	छत्तीसगढ	11688	11586
7	गोवा	191	190
8	गुजरात	14675	14439
9	हरियाणा	6227	6213
10	हिमाचल प्रदेश	3615	3485
11	जम्मू और कश्मीर	4291	4291
12	झारखंड	4345	4342
13	कर्नाटक	5948	4545
14	केरल	941	939
15	लद्दाख	193	191
16	लक्षद्वीप	10	0
17	मध्य प्रदेश	23004	22906
18	महाराष्ट्र	27943	27870
19	मणिपुर	3812	161
20	मेघालय	7170	0
21	मिजोरम	835	815
22	नागालैंड	1319	0
23	ओडिशा	6781	6770
24	पुडुचेरी	108	0
25	पंजाब	13236	13142
26	राजस्थान	11195	11135
27	सिक्किम	199	199
28	तमिलनाडु	12481	12482
29	तेलंगाना	12848	3783
30	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	42	38
31	त्रिपुरा	1194	1193
32	उत्तराखंड	7788	7757
33	उत्तर प्रदेश	57691	57685
34	पश्चिम बंगाल	3339	3336
कुल		**269518**	**244817**

भाग-दो

समिति की टिप्पणियां/सिफारिशें

1. सशर्त और शर्त-मुक्त अनुदानों का पुनर्गठन

समिति नोट करती है कि पंद्रहवें वित्त आयोग (15वें एफसी) ने ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरबीएल) के लिए शर्त-मुक्त (40%) और सशर्त (60%) अनुदानों की सिफारिश की थी। सशर्त अनुदान स्वच्छता और पेयजल के लिए निर्धारित की गई हैं और शर्त-मुक्त अनुदान संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची के अन्तर्गत स्थानीय आवश्यकताओं के लिए उपयोग की जाती हैं। ग्राम सभा द्वारा प्रमाणन और राज्य सरकार अथवा संबंधित पर्यवेक्षी प्राधिकरण द्वारा पुष्टि के पश्चात किसी भी श्रेणी के कार्य पूर्ण होने पर सशर्त अनुदानों को स्वच्छता और जल आपूर्ति कार्यों के लिए पुनर्आवंटित किया जा सकता है। समिति यह भी नोट करती है कि जल शक्ति मंत्रालय के अन्तर्गत पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा स्वच्छता और पेयजल से संबंधित इसी प्रकार की योजनाएँ जैसे 'हर घर नल हर घर जल' और 'स्वच्छ भारत मिशन- एक और दो' आदि कार्यान्वित की जाती हैं। संक्षिप्त जानकारी दिए जाने के दौरान मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि यदि किसी पंचायत में पेयजल एवं स्वच्छता कार्य शत-प्रतिशत पूरा हो जाता है, तो संबंधित पंचायत को सशर्त निधि जारी नहीं की जाएगी तथा सशर्त अनुदान राशि का उपयोग शर्त-मुक्त अनुदान के लिए नहीं किया जा सकता। समिति का मानना है कि ऐसी स्थिति में केंद्रीय वित्त आयोग के तहत ग्रामीण स्थानीय निकायों को जारी अनुदानों की संरचना को संतुलित करने की आवश्यकता है। अतः, समिति सिफारिश करती है कि पंचायती राज मंत्रालय को विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक सेवा क्षेत्र में कार्य पूर्ण होने पर आवंटित निधि के इष्टतम उपयोग के लिए सशर्त और शर्त-मुक्त अनुदानों के अंतर्गत अनुदानों के पुनर्आबंटन के लिए एक तंत्र तैयार करना चाहिए।

2. ग्राम पंचायतों (जीपी) और ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) की आय का स्रोत

देश में ग्राम पंचायतें (जीपी) और ग्रामीण स्थानीय निकाय (आरएलबी) अपनी निधि आवश्यकता के लिए राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) और केंद्रीय वित्त आयोग (सीएफसी) आदि से

प्राप्त होने वाली अनुदानों पर निर्भर हैं। शहरी क्षेत्रों की निकटवर्ती कतिपय ग्राम पंचायतों/ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा पंचायत आस्तियों को किराये पर देने/पट्टे पर देने, आस्तियों की बिक्री, आय सृजित करने वाले कार्यक्रमों के आयोजन और सम्पत्ति कर, वाहन कर आदि जैसे स्थानीय करों को अधिरोपित और एकत्र करने के माध्यम से आय अर्जित की गई है। पंचायती राज मंत्रालय ने संक्षिप्त जानकारी दिए जाने के दौरान प्रस्तुतिकरण के माध्यम से बताया कि ग्राम पंचायतों/ग्रामीण स्थानीय निकायों के स्वयं के आय स्रोतों को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जिसमें वित्तीय सशक्तीकरण और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। समिति का मानना है कि अनेक कदम उठाने/प्रयास किए जाने के बावजूद अधिकांश ग्राम पंचायतें/ग्रामीण स्थानीय निकाय अपनी आय के स्रोत को संतोषजनक ढंग से विकसित और सृजित नहीं कर पाए हैं। अत:, समिति सिफारिश करती है कि पंचायती राज मंत्रालय पंचायतों की अपनी आय के स्रोत विकसित और सृजित करने की क्षमता बढ़ाने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करे और राज्यों से पंचायतों को और शक्तियां और कार्य प्रदान करने का आग्रह करे। ताकि वे ग्रामीण आबादी को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के अपने मूल कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। समिति यह भी चाहती है कि पंचायती राज मंत्रालय बेहतर कार्य-निष्पादन करने वाली पंचायतों को अधिक प्रोत्साहन और पुरस्कार प्रदान करने की व्यवहार्यता का पता लगाए ताकि पंचायतों को अपनी आवश्यकताओं और महत्वपूर्ण मानकों को पूरा करने के लिए अपनी आय का स्रोत बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित किया जा सके।

3. <u>कार्य-निष्पादन अनुदान</u>

समिति नोट करती है कि कार्य-निष्पादन अनुदान ग्राम पंचायतों (जीपी) और ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) को उनके बेहतर कार्य/कार्य-निष्पादन के लिए दिए जाने वाले विशेष पुरस्कार हैं और इन अनुदानों का उद्देश्य पंचायतों को बेहतर कार्य करने और लोगों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये अनुदान वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत पंचायतों को प्रदान की जाने वाली समग्र वित्तीय सहायता का भाग हैं। समिति यह भी नोट करती है कि एमओपीआर ने जीपी/आरएलबी के लिए कार्य-निष्पादन अनुदानों जैसे आय का स्रोत बढ़ाना, वार्षिक

कार्य योजनाओं को तैयार करना और टीकाकरण की स्थिति आदि के लिए पात्रता मानदंड तय करने हेतु रैंकिंग प्रणाली भी विकसित की है। समिति ने पाया कि कई पंचायतों को अपेक्षित शर्तें पूरी नहीं करने के कारण अनुदान प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। इस प्रकार, कुछ पंचायतें इन अनुदानों को प्राप्त करने के लिए फर्जी रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं, जो वास्तव में इन अनुदानों के लिए पात्र नहीं हैं। अत:, समिति पंचायती राज मंत्रालय से सिफारिश करती है कि वह रैंकिंग प्रणाली में संशोधन करके नियमों को आसान बनाए ताकि और पंचायतें ईमानदारी से पुरस्कार प्राप्त करने के लिए पात्र हो सकें। समिति यह सिफारिश भी करती है कि कमजोर पंचायतों की सहायता के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए तथा दावा सत्यापन तंत्र विकसित किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल वैध दावों को ही स्वीकृत तथा संसाधित किया जाए और मिथ्या दावों पर रोक लगाई जा सके।

4. <u>ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (जीपीडीपीएस) को ईग्रामस्वराज पोर्टल पर यथासमय अपलोड करना</u>

प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) का उद्देश्य स्थानीय विकास आवश्यकताओं का पता लगाना तथा जल, स्वच्छता, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी अवसंरचनाओं में सुधार करना एवं गांवों और ग्राम निवासियों का कल्याण सुनिश्चित करना है। केंद्रीय वित्त आयोग (सीएफसी) द्वारा जारी अनुदानों के उपयोग की निगरानी ईग्रामस्वराज पोर्टल के माध्यम से की जाती है। ग्राम पंचायतों को 15वां वित्त आयोग अनुदान जारी करने के लिए प्रतिवर्ष ईग्रामस्वराज पोर्टल पर ग्राम पंचायत विकास योजना अपलोड करना एक अनिवार्य शर्त है। ग्राम पंचायत विकास योजना प्रस्तुत न करने के परिणामस्वरूप इस अनुदान को निलंबित, समाप्त अथवा आबंटन की तुलना में कम जारी किया जा सकता है, जो पंचायत के वित्तीय संसाधनों और सुनियोजित कार्यकलापों को कार्यान्वित करने की इसकी क्षमता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेगा। दिनांक 25.06.2025 की स्थिति के अनुसार, https://gpdp.nic.in/planPlusReport.html पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों का उल्लेख करते हुए समिति यह पाती है कि कुछ राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने

किन्हीं भी ग्राम पंचायत विकास योजनाओं को अपलोड नहीं किया है और कुछ राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने अन्य की तुलना में कम ग्राम पंचायत विकास योजनाओं को अपलोड किया है। समिति यह समझने में असमर्थ रही है कि यदि ग्राम पंचायत विकास योजनाओं को समय पर और पूर्णतः ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जाएगा तो मंत्रालय राज्यों/ग्राम पंचायतों द्वारा केन्द्रीय वित्त आयोग की निधियों/अनुदानों के उपयोग की निगरानी किस प्रकार करेगा। अतः, समिति यह सिफारिश करती है कि यथासमय और उपयुक्त ग्राम पंचायत विकास योजनाएं तैयार करने और ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर उन्हें अपलोड करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय राज्यों के समन्वय से पंचायत सदस्यों के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता के संबंध में नियमित आधार पर प्रशिक्षण का आयोजन करे ताकि अनुदान के संबंध में उनकी पात्रता सुनिश्चित की जा सके। समिति यह भी सिफारिश करती है कि पंचायती राज मंत्रालय बेहतर समन्वय और अधिक प्रभावी विकास परिणाम प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायत विकास योजनाओं को ब्लॉक और जिला स्तरीय योजनाओं के समरूप करने के लिए ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित करे।

5. <u>राज्य वित्त आयोग का गठन</u>

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243झ के अंतर्गत राज्य द्वारा प्रत्येक पांचवें वर्ष की समाप्ति पर राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) के गठन का उपबंध किया गया है। इनकी संसाधनों को साझा करने के संबंध में उपायों की सिफारिश और पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन द्वारा उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार करके स्थानीय सरकारों के वित्त को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2024-25 से कतिपय केंद्रीय अनुदान प्राप्त करने हेतु राज्यों के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन और उनकी सिफारिशों पर कार्रवाई करना अनिवार्य कर दिया है। राज्यों में राज्य वित्त आयोग के गठन की स्थिति के संबंध में मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, समिति यह नोट करती है कि 28 राज्यों में से मात्र 25 राज्यों ने राज्य वित्त आयोग का गठन किया है और केवल नौ राज्यों ने छठे राज्य वित्त आयोग का गठन किया है। यह निराशाजनक है कि कुछ राज्यों ने तीसरे, चौथे और पांचवें राज्य वित्त आयोग का गठन भी नहीं किया है। तथापि,

पंजाब और तमिलनाडु ने राज्य वित्त आयोग के गठन, प्रतिवेदन और की-गई-कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने के संबंध में बेहतर प्रदर्शन किया है। जबकि अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में प्रतिवेदनों और की-गई-कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने में विलंब हुआ है अथवा वे लंबित हैं। गुजरात, झारखंड और तेलंगाना अभी प्रारम्भिक चरण में हैं और इनके द्वारा प्रतिवेदन अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। चूंकि राज्य वित्त से पंचायती राज संस्थाओं को निधियों के अंतरण के लिए राज्य वित्त आयोग का नियमित आधार पर गठन आवश्यक है, अतः, समिति यह सिफारिश करती है कि पंचायती राज मंत्रालय इस मामले को शीर्ष स्तर पर उठाए और राज्य सरकारों को बिना किसी विलंब के नियमित आधार पर राज्य वित्त आयोग का गठन करने के लिए सहमत कराए ताकि केन्द्रीय अनुदानों का प्रवाह बाधित अथवा कम न हो। समिति यह भी सिफारिश करती है कि पंचायती राज मंत्रालय का महत्व राज्य सरकारों से अधिक होना चाहिए और उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य वित्त आयोग रिपोर्ट के लिए एक समान, सरल और आसान प्रारूप तैयार किया जाए तथा यदि आवश्यक हो तो इस संबंध में राज्य वित्त आयोग के सदस्यों और पंचायत अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।

6. <u>पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को शक्तियों के हस्तांतरण को मजबूत करना</u>

समिति इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त करती है कि 73वें संविधान संशोधन के अधिनियमन से तीन दशक से अधिक समय बीत जाने के बावजूद, इसमें परिकल्पित लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की भावना देश के कई हिस्सों में काफी हद तक अधूरी है। पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को 3एफ: कार्य, निधि और पदाधिकारियों का हस्तांतरण, राज्यों में आंशिक, खंडित और असमान बना हुआ है। कई पंचायतें सीमित प्रशासनिक अधिकारों, अपर्याप्त वित्तीय संसाधनों के साथ और संबंधित विभागों या स्थानीय नियोजन प्रक्रियाओं पर प्रभावी नियंत्रण के बिना कार्य करती हैं। समिति यह सिफारिश करती है कि प्रत्येक राज्य को संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची के तहत सूचीबद्ध सभी

विषयों को कवर करते हुए पीआरआई को शक्तियों के हस्तांतरण के लिए एक स्पष्ट, समयबद्ध रोडमैप तैयार और प्रकाशित करना चाहिए। वास्तविक स्थानीय स्वशासन के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं जैसे स्थानीय पदाधिकारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण प्रभावी रूप से पंचायतों को हस्तांतरित किया जाना चाहिए। समिति यह भी सिफारिश करती है कि पंचायती राज मंत्रालय प्रत्येक राज्य में 3एफ के संबंध में प्रगति को मापने के लिए एक वार्षिक "हस्तांतरण की स्थिति रिपोर्ट" तैयार करे, और इसे संसद के समक्ष प्रस्तुत करे। केंद्र सरकार को वित्त आयोग और केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से वित्तीय प्रोत्साहनों को हस्तांतरण में वास्तविक प्रदर्शन से जोड़ना चाहिए, जिससे राज्यों को पीआरआई को अधिक सार्थक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

7. <u>पंचायतों को पूर्वानुमानित और जवाबदेह शर्तमुक्त निधि हस्तांतरण के माध्यम से वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित करना</u>

समिति का मानना है कि शर्तमुक्त निधियाँ, सार्थक विकेंद्रीकरण की रीढ़ हैं। वित्तीय सशक्तीकरण और लचीलेपन के बिना, 73वें संविधान संशोधन का लक्ष्य अधूरा रहेगा और पंचायतें उन लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ रहेंगी जिनकी सेवा के लिए उन्हें नियुक्त किया गया है। पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को स्थानीय स्वशासन की प्रभावी इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए शर्तमुक्त निधियाँ आवश्यक हैं। राज्यों को एक पूर्वानुमानित और सूत्र-आधारित आवंटन तंत्र के माध्यम से ऐसी निधियों का नियमित और पर्याप्त प्रावधान सुनिश्चित

करना चाहिए जो पारदर्शी, न्यायसंगत हो और जनसंख्या, भौगोलिक क्षेत्र और सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन के स्तर जैसे वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर आधारित हो। इन निधियों का वितरण समय पर और आवधिक रूप से, अधिमानतः त्रैमासिक या मासिक आधार पर, बिना किसी प्रशासनिक विलंब या विवेकाधीन नियंत्रण के किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पंचायतें स्वतंत्र रूप से कार्यों की योजना बना सकें और उन्हें क्रियान्वित कर सकें। स्थानीय रूप से निर्धारित आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार शर्तमुक्त निधियों की योजना बनाने और उपयोग करने में पंचायतों को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस वित्तीय विवेकाधिकार को संबंधित विभागों या उच्च प्रशासनिक प्राधिकारियों के अनिर्देशित हस्तक्षेप से सुरक्षित रखा जाना चाहिए। साथ ही, ग्राम सभा की निगरानी, सहभागी योजना, सोशल ऑडिट और रिपोर्टिंग में पारदर्शिता जैसी जवाबदेही की उपयुक्त प्रणालियों को संस्थागत रूप दिया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निधियां कुशलतापूर्वक और जनहित में खर्च की जाए। इस प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए, राज्यों को वित्तीय प्रबंधन, बजट और परियोजना निगरानी जैसे क्षेत्रों में पंचायत प्रतिनिधियों और कर्मचारियों के क्षमता निर्माण में भी निवेश करना चाहिए। वास्तविक समय में व्यय पर नज़र रखने और भविष्य के हस्तांतरण के एक हिस्से को सरल प्रदर्शन संकेतकों, जैसे सामुदायिक मांगों के प्रति जवाबदेही या नियोजित कार्यों को पूरा करने, से जोड़ने के लिए डिजिटल उपकरणों का उपयोग, जवाबदेही और प्रभावशीलता को और बढ़ा सकता है।

8. <u>प्रभावी विकेन्द्रीकृत विकास के लिए जिला योजना समितियों को मजबूत करना</u>

समिति यह नोट करके चिंतित है कि अनुच्छेद 243यघ के तहत संवैधानिक अधिदेश के बावजूद, कई राज्यों ने या तो ज़िला योजना समितियों (डीपीसी) का गठन नहीं किया है या उन्हें व्यवहार में निष्क्रिय रहने दिया है। जिन राज्यों में डीपीसी का गठन किया गया है, वहाँ अक्सर अनियमित बैठकों, तकनीकी और प्रशासनिक सहायता के अभाव, ग्रामीण और शहरी विकास योजनाओं के अपर्याप्त एकीकरण और निर्वाचित प्रतिनिधियों की अपर्याप्त भागीदारी के कारण उनका कामकाज सीमित रहता है। इसके परिणामस्वरूप, विशेष रूप से केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं और राज्य-स्तरीय पहलों में, खंडित नियोजन, विभागों में प्रयासों का दोहराव और निधियों का कम उपयोग या गलत आवंटन हुआ है। समिति सिफारिश करती है कि सभी राज्य, प्रत्येक ज़िले में ज़िला योजना समितियों का गठन करने और उनके प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाएँ। डीपीसी को पंचायतों और नगर पालिकाओं से प्राप्त सूचनाओं को एकत्रित करके, निर्वाचित प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी और संबंधित विभागों के साथ समन्वय के साथ एकीकृत ज़िला विकास योजनाएँ तैयार करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट संचालन संबंधी दिशानिर्देश जारी करने चाहिए कि डीपीसी की नियमित बैठकें हों, उनमें योग्य तकनीकी और योजना कर्मचारी हों, और वे पारदर्शिता के साथ काम करें। उनके निर्णयों और बैठक के परिणामों का सार्वजनिक रूप से प्रलेखन और निगरानी की जानी चाहिए। इसके अलावा, पंचायती राज मंत्रालय को राज्य नियोजन विभागों और नीति आयोग के परामर्श से,

सहभागी जिला नियोजन के लिए एक आदर्श ढाँचा तैयार करना चाहिए, जिसमें मानकीकृत प्रारूप, डिजिटल उपकरण और प्रस्तुतिकरण एवं समीक्षा के लिए समय-सीमा शामिल हो। सार्थक विकेन्द्रीकृत नियोजन को प्रोत्साहित करने के लिए, केंद्र और राज्य योजनाओं के आवंटन के एक हिस्से को जिला नियोजन समिति (डीपीसी) द्वारा जाँची गई योजनाओं से जोड़ा जाना चाहिए जो अभिसरण, स्थानीय प्रासंगिकता और जवाबदेही प्रदर्शित करती हों।

9. <u>पंचायत चुनावों में देरी की स्थिति में ग्राम विकास की निरंतरता सुनिश्चित करना</u>

समिति पाती है कि ग्राम स्तर पर धन के प्रभावी उपयोग और विकास कार्यों की निरंतरता में एक बड़ी बाधा पंचायत चुनावों के आयोजन में देरी या व्यवधान है। यद्यपि, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बनाए रखने के लिए समय पर चुनाव आवश्यक हैं, फिर भी कई ऐसे उदाहरण हैं जहाँ प्रशासनिक , कानूनी या नीतिगत बाधाओं के कारण निर्धारित समय के भीतर चुनाव नहीं हो सके। समिति विशेष रूप से लक्षद्वीप में सीमा परिसीमन के अनसुलझे मुद्दों और तेलंगाना में, जहाँ ओबीसी आरक्षण नीतियों के कार्यान्वयन के कारण चुनाव कराने में कानूनी और प्रक्रियात्मक देरी हुई है, देरी को नोट करती है। इस तरह के व्यवधान स्थानीय शासन में एक शून्यता पैदा करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर विकास कार्य ठप हो जाते हैं, धन का उपयोग नहीं हो पाता है, और बुनियादी सेवा वितरण तंत्र ध्वस्त हो जाता है। यद्यपि, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार लोकतांत्रिक चुनाव समय पर और नियमित रूप से होने चाहिए, समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि अपरिहार्य देरी की स्थिति में, एक स्पष्ट तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया

जा सके कि स्थानीय शासन और ग्राम विकास में कोई रुकावट न आए। ऐसे मामलों में, राज्य, स्पष्ट रूप से परिभाषित ज़िम्मेदारियों और सीमित कार्यकाल के साथ एक नामित प्रतिनिधि या प्रशासक की नियुक्ति के द्वारा एक अंतरिम व्यवस्था करने पर विचार कर सकते हैं, ताकि स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन, धन के उपयोग और आवश्यक सेवा वितरण में निरंतरता सुनिश्चित हो सके। ऐसी व्यवस्था सख्त निगरानी और पारदर्शिता के अध्यधीन होनी चाहिए, और निर्वाचित निकायों के बहाल होने तक न्यूनतम हस्तक्षेप के सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए।

10. <u>पंचायती राज संस्थाओं को निधियों के आवंटन में कमी: इसे पलटने और राजकोषीय विकेंद्रीकरण को मजबूत करने की आवश्यकता</u>

समिति यह नोट करके चिंतित है कि हाल के वर्षों में लगातार केंद्रीय बजटों के तहत पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को निधियों के आवंटन में निरंतर गिरावट आई है। यह प्रवृत्ति 73वें संविधान संशोधन के तहत परिकल्पित राजकोषीय विकेंद्रीकरण की बुनियाद को ही कमजोर करती है और पंचायतों की अपनी संवैधानिक रूप से निर्धारित जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निभाने की क्षमता को कमजोर करती है। शर्तमुक्त और योजना-आधारित हस्तांतरण में कमी न केवल स्थानीय विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने की पीआरआई की क्षमता को सीमित करती है, बल्कि स्वशासी संस्थाओं के रूप में उनकी विश्वसनीयता को भी प्रभावित करती है। पूर्वानुमानित और पर्याप्त वित्तीय सहायता के अभाव में, पंचायतों को बुनियादी सेवा वितरण, बुनियादी ढाँचे के निर्माण, आजीविका सृजन और सामाजिक कल्याण कार्यान्वयन से संबंधित आवश्यक कार्य करने में कठिनाई

होती है। समिति सिफारिश करती है कि पंचायती राज मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और पंद्रहवें वित्त आयोग के परामर्श से, इस प्रवृत्ति को बदलने के लिए तत्काल कदम उठाए और यह सुनिश्चित करे कि पीआरआई को पर्याप्त, शर्तमुक्त और प्रदर्शन-आधारित संसाधन आवंटित किए जाएँ। इसके अतिरिक्त, पीआरआई निधियों को सुरक्षित रखने, राज्य विभागों द्वारा धन के अन्यत्र उपयोग को रोकने तथा अंतर-स्तरीय राजकोषीय हस्तांतरण में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए तंत्र विकसित किया जाना चाहिए।

नई दिल्ली;
25 जुलाई, 2025
3 श्रावण, 1947 (शक)

श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
सभापति
ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति

अनुबंध एक

<u>ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति (2024-25)</u>

समिति की गुरूवार, 21 नवम्बर, 2024 को आयोजित पांचवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक 1100 बजे से 1315 बजे तक समिति कक्ष 'सी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में आयोजित हुई।

<u>उपस्थित</u>

श्री सप्तगिरी शंकर उलाका -- *सभापति*

सदस्य

लोक सभा

2. डॉ. संजय जायसवाल
3. डॉ. मोहम्मद जावेद
4. श्री जुगल किशोर
5. श्री इमरान मसूद
6. श्री जनार्दन मिश्रा
7. श्री रमाशंकर राजभर
8. श्री ओम प्रकाश भूपाल सिंह *उर्फ* पवन राजेनिंबालकर

राज्य सभा

9. श्री इरण्ण कडाडि
10. श्री संत बलबीर सिंह

सचिवालय

1. श्री देस राज शेखर - अपर सचिव
2. श्री विनय पी. बरवा - निदेशक
3. श्री एल सिंगसन - उप सचिव

पंचायती राज मंत्रालय के प्रतिनिधि

क्रमांक	**साक्षियों के नाम**	**पदनाम**
1.	श्री विवेक भारद्वाज	सचिव
2.	श्री आलोक प्रेम नगर	संयुक्त सचिव

सोलहवें वित्त आयोग के प्रतिनिधि

1.	श्री ऋत्विक पाण्डेय	सचिव
2.	श्री राहुल जैन	संयुक्त सचिव
3.	श्री मानस बाजपेयी	उप निदेशक

व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री सज्जन सिंह यादव अपर सचिव
2. श्री चिन्मय पी. गोटमारे निदेशक

2. सर्वपर्थम, माननीय सभापति ने "पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत निधियों का हस्तांतरण" विषय पर पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर), वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) और वित्त आयोग के प्रतिनिधियों द्वारा संक्षिप्त जानकारी हेतु बुलाई गई समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया।

[तत्पश्चात, साक्षियों को बुलाया गया]

3. साक्षियों का स्वागत करने के पश्चात, सभापति ने इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया कि यहाँ हुई चर्चाओं को तब तक गोपनीय माना जाना चाहिए तथा सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए जब तक समिति का प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता।सभापति ने अपनी स्वागत भाषण में पंचायती राज प्रणाली और ग्रामीण स्थानीय निकायों को निधियों के हस्तांतरण के महत्व पर बल दिया। सभापति ने रेखांकित किया कि ग्रामीण स्थानीय निकायों का गठन भारत के संविधान के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत किया गया है जिन्हें जमीनी स्तर के संस्थानों और शासन के तीसरे स्तर के रूप में परिकल्पित किया गया है।इसलिए, ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदानों का हस्तांतरण न केवल पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त और मजबूत बनाता है बल्कि ग्रामीण विकास में भी अत्यधिक सहायता करता है। इसके अलावा, सभापति ने निधियों की कमी, कम उपयोग पर चिंता व्यक्त की, जो कि हमारे ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए चिंता का विषय है और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य पारदर्शीऔर प्रभावशाली तरीके से निधि के हस्तांतरण में आ रही इन चुनौतियों का मूल्यांकन करना है।

4. सचिव, पंचायती राज मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न वर्षों में आबंटित की गई, जारी की गई और उपयोग की गईनिधियों के साथ-साथ 2024-25 के लिए आवंटन की योजना और पंचायती राज मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत की गई पहलों पर प्रकाश डाला।

5. तत्पश्चात्, सदस्यों ने विभिन्न योजनाओं के लिए निधियों के हस्तांतरण और योजनाओं के कार्यान्वयन आदि पर इसके प्रभाव से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर निम्नलिखित प्रश्न/बिन्दु किए/उठाए:

क. चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान विभिन्न राज्यों को जारी की गई धनराशि में अंतर;

ख. पंचायतों की आय के स्त्रोत में वृद्धि;

ग. शर्तमुक्त अनुदानोंसे की गई निधियों का प्रावधान का उपयोग पंचायत भवन के निर्माण के लिए किया जाना चाहिए;

घ. पंचायतों में तैनात प्रशिक्षित अधिकारियों की कमी;

ङ. विभिन्न राज्यों में छठे राज्य वित्त आयोग का गठन न होना;

च. जिला योजना आयोग का गठन; और

छ. सशर्त और शर्तमुक्त अनुदान के पूर्ण उपयोग के लिए उठाए गए कदम।

6. समिति के प्रश्नों/बिन्दुओं के उत्तर सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, अपर सचिव, व्यय विभाग (वित्त मंत्रालय) और सचिव, 16वें वित्त आयोग द्वारा दिए गए थे।

7. तत्पश्चात, सभापति ने पंचायती राज मंत्रालय, व्यय विभाग और 16वें वित्त आयोग के प्रतिनिधियों को धन्यवाद दिया और आग्रह किया कि सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों/बिंदुओं, जिनके उत्तर तत्काल उपलब्ध नहीं थे, के लिखित उत्तर यथाशीघ्र सचिवालय को भेजे जाएं।

[तत्पश्चात साक्षी चले गए।]

कार्यवाही का शब्दश: रिकॉर्ड रखा गया है।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।

*****

अनुबंध दो

<u>ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति (2024-25)</u>

समिति की सोमवार, 14 जुलाई, 2025 को हुई तीसवीं बैठक के कार्यवाही सारांश से उद्धरण

समिति की बैठक 1100 बजे से 1255 बजे तक समिति कक्ष 'बी', भू-तल, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

<u>उपस्थित</u>

श्री सप्तगिरी शंकर उलाका -- *सभापति*

सदस्य

लोक सभा

2. श्री राजू बिष्ट
3. श्री भजन लाल जाटव
4. डॉ. मोहम्मद जावेद
5. श्री जुगल किशोर
6. श्री नव चरण माझी
7. श्री इमरान मसूद
8. श्री जनार्दन मिश्रा
9. श्री रमाशंकर विद्यार्थी राजभर
10. श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह *उर्फ* पवन राजेनिंबालकर
11. श्री गणेश सिंह
12. श्री विवेक ठाकुर

राज्य सभा

13. श्रीमती गीता *उर्फ* चन्द्रप्रभा
14. श्री एच. डी. देवेगौड़ा
15. श्री ईरण्ण कडाडी

सचिवालय

1. श्री डी. आर. शेखर - अपर सचिव
2. श्री वी.के. शैलोन - निदेशक

XXX XXX XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX XXX XXX

XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

2. सर्वप्रथम, माननीय सभापति ने (एक) XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX और पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित "पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत निधियों का अंतरण" विषय के संबंध में प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार करने और उसे स्वीकार करने; और (दो) XXX XXX XXX XXX हेतु बुलाई गई समिति की इस बैठक में सदस्यों का स्वागत किया।

3. समिति ने प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार किया और चर्चा के पश्चात् "पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत निधियों का अंतरण" संबंधी प्रारूप प्रतिवेदन में समाविष्ट करने हेतु समिति के सभापति द्वारा सुझाई गई निम्नलिखित 5 सिफारिशों के साथ उपर्युक्त दोनों प्रारूप प्रतिवेदनों को स्वीकार किया। सिफ़ारिशों का विस्तृत विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(एक) पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को शक्तियों के अंतरण को सुदृढ़ करना

(दो) पंचायतों को पूर्वानुमेय एवं जवाबदेह शर्त-मुक्त निधि अंतरण के माध्यम से वितीय स्वायत्तता सुनिश्चित करना

(तीन) प्रभावी विकेंद्रीकृत विकास हेतु जिला आयोजना समितियों का सुदृढ़ीकरण

(चार) पंचायत चुनावों में विलंब की स्थिति में सतत ग्राम विकास सुनिश्चित करना

(पाँच) पंचायती राज संस्थाओं को निधियों के आबंटन में गिरावट: राजकोषीय विकेंद्रीकरण को परिवर्तित और सुदृढ़ करने की आवश्यकता

4. तत्पश्चात्, समिति ने सभापति को प्रारूप प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और उन्हें आगामी मानसून सत्र में संसद में प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया।

[तत्पश्चात्, XXX XXX XXX XXX *के प्रतिनिधियों को बुलाया गया]*

5. XXX XXX XXX XXX XXX XXX

6. XXX XXX XXX XXX XXX XXX

[तत्पश्चात साक्षी साक्ष्य देकर चले गए]

शब्दश: कार्यवाही का रिकॉर्ड रखा गया है।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

*****

XXX प्रारूप प्रतिवेदन से संबंधित नहीं है ।